न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंथल (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	सुश्री अमृता खण्डेलवाल, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	8 / 2025
दायर दिनांक	:	09.04.2025
निर्णय दिनांक	:	06.03.2026

1. मंगलराम पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सिण्डोली तहसील सैंथल हाल तहसील कुण्डल जिला दौसा राजस्थान

वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र भगवान्या
2. गेन्दी उर्फ गायत्री पुत्री रामजीलाल
3. जमना पत्नि रामजीलाल
4. प्रभूदयाल पुत्र रामजीलाल
5. बाबूलाल पुत्र रामजीलाल
6. विष्णु पुत्र रामजीलाल
7. सरोज उर्फ सरजो पुत्री रामजीलाल
8. सियाराम पुत्र भगवान्या
9. हनुमान पुत्र भगवान्या
10. घासी पुत्र बद्री

    समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सिण्डोली तहसील सैंथल हाल तहसील कुण्डल
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सैंथल हाल तहसील कुण्डल
12. दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा दौसा जरिये शाखा प्रबंधक

वाद उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

वादी अधिवक्ता : श्री विनोद कुमार विजय एडवोकेट

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा एक वाद उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम सिण्डोली तहसील कुण्डल में भूमि खसरा नम्बर 1648 / 2 रकबा 0.9900 है., 1649 / 2 रकबा 0.9900 है0, 2069 / 561

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

रकबा 0.8600 है॰, 414 रकबा 0.1700 है॰, 418 रकबा 0.6200 है॰, 420 रकबा 0.0900 है॰, 421/2 रकबा 0.0400 है॰, 467/2 रकबा 0.0500 है॰, 468 रकबा 0.3100 है॰, 473 रकबा 1.0700 है॰, 560 रकबा 0.3900 है॰, 580/3 रकबा 0.8300 है॰ कुल किता 12 कुल रकबा 6.4100 है0 के खातेदार व काबिज काश्तकार वादी व प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 9 है व खसरा नम्बर 1652/2046 रकबा 1.0000 है॰ व खसरा नम्बर 575/2022 रकबा 0.0200 है॰ वाके ग्राम सिण्डोली के खातेदार भी वादी व प्रतिवादी संख्या 10 घासी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 है। उक्त भूमि के खातेदार मंगलराम की जगह राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में रामराय अंकित हो रहा है जिसकी जानकारी वादी को कृषि अनुदान प्राप्त करने हेतु जाने पर जानकारी में आया वादी के सभी दस्तावेजों में वादी का नाम मंगलराम होना अंकित है जमाबंदी में रामराय होने से अनुदान नहीं देने के कारण वादी द्वारा तहसीलदार जी व पटवारी हल्का से नाम दरूस्त करने का निवेदन किया परन्तु तहसीलदार जी व पटवारी हल्का द्वारा नाम दरूस्ती करने से इन्कार कर दिया तब यह वाद पैदा हुआ। वादी ने वाद पेश कर ग्राम सिण्डोली के खसरा नम्बर 1648/2 रकबा 0.9900 है॰, 1649/2 रकबा 0.9900 है0, 2069/561 रकबा 0.8600 है॰, 414 रकबा 0.1700 है॰, 418 रकबा 0.6200 है॰, 420 रकबा 0.0900 है॰, 421/2 रकबा 0.0400 है॰, 467/2 रकबा 0.0500 है॰, 468 रकबा 0.3100 है॰, 473 रकबा 1.0700 है॰, 560 रकबा 0.3900 है॰, 580/3 रकबा 0.8300 है॰ कुल किता 12 कुल रकबा 6.4100 है0 के 1/28 हिस्से का व खसरा नम्बर 1652/2046 रकबा 1.0000 है॰ व खसरा नम्बर 575/2022 रकबा 0.0200 है॰ के 1/56 हिस्से का खातेदार व काबिज काश्तकार वादी को घोषित फरमाकर उक्त भूमि में रामराय पुत्र रामजीलाल की जगह मंगलराम पुत्र रामजीलाल दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार को आदेश फरमाने व तदनुसार डिकी वहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण पारित फरमाने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 जो उक्त भूमि के रिकॉडेड खातेदार है ने वादी के वादी को स्वीकार करते हुए वादी का नाम रामराय पुत्र रामजीलाल के स्थान पर मंगलराम पुत्र रामजीलाल करने हेतु इकबालिया जवाब पेश किया गया वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बसह पर मनन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सैथल

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी में ग्राम सिण्डोली के खसरा नम्बर 1648/2 रकबा 0.9900 है०, 1649/2 रकबा 0.9900 है0, 2069/561 रकबा 0.8600 है०, 414 रकबा 0.1700 है०, 418 रकबा 0.6200 है०, 420 रकबा 0.0900 है०, 421/2 रकबा 0.0400 है०, 467/2 रकबा 0.0500 है०, 468 रकबा 0.3100 है०, 473 रकबा 1.0700 है०, 560 रकबा 0.3900 है०, 580/3 रकबा 0.8300 है० कुल किता 12 कुल रकबा 6.4100 है0 में गैन्दी पुत्री रामजीलाल हिस्सा 1/28, जमना पत्नि रामजीलाल हिस्सा 1/28, प्रभूदयाल पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/28, बाबूलाल पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/28, रामराय पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/28, विष्णु पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/28, सरोज पुत्री रामजीलाल हिस्सा 1/28, कैलाश पुत्र भगवाना हिस्सा 1/4, सियाराम पुत्र भगवाना हिस्सा 1/4 , हनुमान पुत्र भगवाना हिस्सा 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है व खसरा नम्बर 1652/2046 रकबा 1.0000 है० व खसरा नम्बर 575/2022 रकबा 0.0200 है० में गैन्दी पुत्री रामजीलाल हिस्सा 1/56, जमना पत्नि रामजीलाल हिस्सा 1/56, प्रभूदयाल पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/56, बाबूलाल पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/56, रामराय पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/56, विष्णु पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/56, सरोज पुत्री रामजीलाल हिस्सा 1/56, कैलाश पुत्र भगवाना हिस्सा 1/8, घासी पुत्र बद्री हिस्सा 1/2, सियाराम पुत्र भगवाना हिस्सा 1/8, हनुमान पुत्र भगवाना हिस्सा 1/8 दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें वादी का नाम रामराय रामजीलाल दर्ज रिकॉर्ड है इस संबंध में वादी द्वारा शपथ पत्र साक्ष्य शपथकर्ता पेश किया गया तथा तहसीलदार कुण्डल द्वारा पत्रांक भू0अ0/2025/788 दिनांक 16.07.2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कथन किया गया कि दिनांक 10.05.2020 के प्रार्थी का आम बोलचान में नाम रामराय एवं समस्त वैध दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मंगलराम व पुत्र रामजीलाल है राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरकरण के समय रामराय अंकित हो गया है जिससे वादी का वाद साबित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिकी किया जाता है कि ग्राम सिण्डोली के खसरा नम्बर 1648/2 रकबा 0.9900 है०, 1649/2 रकबा 0.9900 है0, 2069/561 रकबा 0.8600 है०, 414 रकबा 0.1700 है०, 418 रकबा 0.6200 है०, 420 रकबा 0.0900 है०, 421/2 रकबा 0.0400 है०, 467/2 रकबा 0.0500 है०, 468 रकबा 0.3100 है०, 473 रकबा 1.0700 है०, 560 रकबा 0.3900 है०, 580/3 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
बैथल

8300 है॰ कुल किता 12 कुल रकबा 6.4100 है0 भूमि में दर्ज रामराय पुत्र रामजीलाल ब्राह्मण हिस्सा 1/28 के स्थान पर मंगलराम पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/28 व खसरा नम्बर 1652/2046 रकबा 1.0000 है॰, खसरा नम्बर 575/2022 रकबा 0.0200 है॰ भूमि दर्ज रामराय पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/56 के स्थान पर मंगलराम पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/56 सा. देह खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा खिलवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(सुश्री अमृता खण्डेलवाल)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सैंथल